

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
पालनहार योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र
आवेदन-पत्र

पालनहार की श्रेणी (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर का(✓) चिन्ह लगावें।)

- | | |
|--|--|
| 1. अनाथ बच्चों के पालनहार। | 4. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चों के पालनहार। |
| 2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु <u>दण्ड/आजीवन</u> कारावास प्राप्त | 5. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों के पालनहार। |
| 3. मता-पिता के बच्चों के पालनहार। | 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के पालनहार। |
| 4. विधवा माता पालनहार। | 7. नाता जाने वाली माता के बच्चों के पालनहार। |
| 5. विशेष योग्यजन के बच्चों के पालनहार। | |

पालनहार का फोटो			
बच्चों की फोटो व नाम, जिसके लिए पालनहार द्वारा आर्थिक सहायता चाही गई है।			

1. पालनहार का नाम :
2. पालनहार के पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. जाति वर्ग (कृपया) :
सम्बन्धित श्रेणी पर का (✓) चिन्ह लगावें।(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य)
5. धर्म :
6. निवास स्थान का पूर्ण :
पता (यथा मकान नम्बर
मोहल्ला, गली, पोस्ट
ऑफिस, तहसील, जिला)
7. दुरभाष निवास :-
कार्यालय :-
मोबाईल :-
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. वार्षिक आय : अंको में(शब्दों में).....
(निर्धारित प्रपत्र में आय) :
प्रमाण पत्र संलग्न करें
10. क्या बी.पी.एल. में :
चिन्हित हैं, यदि हाँ तो :
क्रमांक व वर्ष अंकित करें :
11. पालनहार का SBBJ :
बैंक का खाता संख्या :
व बैंक का नाम, पता :
IFSC Code :

12. पालनहार द्वारा जिन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता चाही गई है, उनका विवरण

नाम	जाति	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	अन्य
1					
2					
3					
4					
5					

13. बच्चों के पिता का विवरण :-

नाम	पुर्ण पता	मृत्यु तिथि / दण्डादेश तिथि	मृत्यु / दण्डादेश का कारण	दण्डादेश / मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

14. बच्चों की माता का विवरण :-

नाम	पुर्ण पता	मृत्यु/दण्डादेश होने/ पुर्नविवाह तिथि / नाता जाने की तिथि	मृत्यु / दण्डादेश होने / पुर्नविवाह तिथि/ नाता के समय आयु	दण्डादेश / मृत्यु / पुर्नविवाह / नाता प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	अन्य

15. घोषणा :-

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ, कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण व संलग्न किए दस्तावेज के तथ्य सही व सत्य हैं। मैंने पालनहार योजना के नियम पूर्णतः पढ़/सुन/जान/लिए हैं। मैं योजना के अनुसार आवेदन में उल्लेखित बच्चों को अपने परिवार में रखकर अपने स्वयं के बच्चों की भांति भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए तथ्य असत्य /अपूर्ण/भ्रामक पाए जाने पर अथवा योजना के नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग द्वारा दिए गए आदेश/निर्णय/विधिक कार्यवाही की मेरे पूर्णतः अनुपालना की जावेगी।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
(पालनहार)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

- पालनहार का निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण-पत्र (विधवा पेंशन योजना में लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ) की प्रति संलग्न करने पर आय प्रमाण-पत्र व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
- बैंक खाता की पास बुक की प्रति।
- अनाथ बच्चों के प्रकरणों में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डादेश की प्रति।
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान प्रकरणों में विधवा माता के पुर्नविवाह के प्रमाण पत्र की प्रति।
- नाता जाने वाले माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- अनाथ बच्चों/न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों /नाता जाने वाली माता / पुर्नविवाहित माता की संतान के प्रकरणों में सरपंच /वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र (जिसमें बच्चों का पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित है।)
- पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाण-पत्र।
- एड्स रोग से पिड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरणों में पिड़ित का राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी/ ए.आर.टी सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी डायरी/ग्रीन डायरी की प्रति।
- कृष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान के प्रकरणों में पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण करने का प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्नी श्री.....

निवासी.....
निम्न अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वयं की संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं-

क्र.सं.	अनाथ बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्तमान कक्षा/आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे हैं

दिनांक :-

(हस्ताक्षर)

(सरपंच,ग्राम पंचायत/प्रधान,पंचायत समिति/वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)

नाम :

मोहर :

वे बच्चों, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुर्नविवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो के लिए ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।

कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) :-

क्रमांक

दिनांक :-

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डनुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र.....
में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं:-

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन/नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)

शिक्षण संस्था प्रधान

जारी कर्ता का नाम :-

मोहर :-

कार्यालय (ग्राम पंचायत)
क्रमांक दिनांक :-

नता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाले प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीपत्नी श्री निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्म तिथि

यह प्रमाण पत्र ग्राम सभा की दिनांक को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
(सचिव, ग्राम पंचायत)
जरीकर्ता का नाम :.....
मोहर :.....

कार्यालय (नगर निगम/नगरपरिषद/नगर पालिका)
क्रमांक दिनांक :-

नता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत सम्बन्धित स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाले प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीपत्नी श्री निवासी अपने परिवार को छोड़कर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरुष (नाम यदि ज्ञात हो) के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है:-

क्र.सं.	संतान का नाम	लिंग	जन्म तिथि

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी)
जरीकर्ता का नाम :.....
मोहर :.....